

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/65/2014

दर्ज दिनांक:-01.08.2014

1. भगवानसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

भूपत कुमार जैन

प्राथी अभिभाषक  
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अपने पिता की खातेदारी की ख.नं. 4620/0.22 है0 स्थित जघीना सं. 2 पर सरकार में विरुद्ध धारा 188 आर.टी.ए. का अनुतो 1 चाहते है। वाद ग्रस्त आराजी पर वादीगण अपने लिखित खातेदार नही है। अपने लिखित खातेदारो की ही धरा 188 आर.टी.ए. को दावा पेश करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त वादीगण के पिता के नाम दर्ज ख.नं. 4620 से लगे हुये हाल ख.नं. 4617/0.02 व 4618/0.03 है0 गैर रास्ता सिवायचक मकबूजा राज. बिना लगानी है। जिन पर नाजायज कब्जा करने के लिए वादीगण ने यह दावा पेश किया है। वादीगण का दावा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नही है जो स्वीकार योग्य नही है।

अतः आज्ञा है कि:-

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द. की जावे।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

